

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

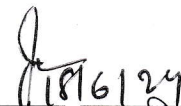
धारा 107 दंडप्रसंग

प्रथम पक्ष — झिलम मिंज

बनाम

वाद सं० 79/2023

द्वितीय पक्ष — बालकिशुन पाईक बगैरह।

आदेश की क्र० सं० एवं तिथि	<u>दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर</u>	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
	थाना बसिया के अप्राथमिकी सं० 29/2023 दिनांक 24/10/2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रथम पक्ष (1) झिलम मिंज उम्र 37 वर्ष पिता स्व० सुकरू उरॉव, ग्राम लुंगटू, थाना बसिया जिला गुमला बनाम द्वितीय पक्ष (1) बालकिशुन पाईक उम्र 45 वर्ष पिता स्व० साधू पाईक (2) सारदा देवी उम्र 42 वर्ष पति बालकिशुन पाईक (3) रूपेश पाईक पिता बालकिशुन पाईक, ग्राम लुंगटू, पंडराटोली थाना बसिया जिला गुमला के बीच जमीन को लेकर विवाद लाया गया है। फलस्वरूप द्वितीय पक्ष के द्वारा शांति एवं विधि व्यवस्था भंग होने की सम्भावना हो सकती है। उभय पक्ष को निर्गत नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हैं। उभय पक्ष न्यायालय में <u>उपस्थित</u> :- उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी बसिया या अन्य स्रोत से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी हैं। अतः उभय पक्षों के बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समयावधि में किसी प्रकार की शांति भंग होने की सूचना अप्राप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित ।  अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)।	